

नुकदमा वीर सिंह बनाम अधुवर  
212 RTA नं 214/18 सन्

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील में जारी हुए

16<sup>2</sup>/<sub>18</sub>


आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 01.05.2018 तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी हाल ख0 नं0 717 रकबा 0.15, 1132 रकबा 0.32, 1135 रकबा 0.14 हैक्ट0 वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजि0 ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 01.05.2018 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ़ (अलवर) राज0

21.6.18:- एअर न्याय अदालत डार, कम्प-  
केच/गुणधर इन्डपुर में पेश। प्रार्थी अपा/  
हुअसावा 1007 फि.१५, श्री खारिज के पुत्र  
उं प्रक पत्र खारिज किया जाऊँ/कअर  
विधिय शुअर के कर तारिखत कअर हो।



  
RMU  
उप खण्ड अधिकारी  
रामगढ़ (अलवर)